अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 12 /2014

रिज़वान अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःफरवरी २२ ,2014

प्रिय महोदय,

विगत कुछ समय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सम्पत्ति/भूमि विवाद तथा अन्य प्रकार की प्रतिद्वन्दिता के चलते सनसनीखेज हत्या/सामूहिक हत्या की घटनाएँ घटित हुई हैं। इस संदर्भ में मेरे द्वारा दिनांक-15-02-2014 को अशा0 परिपत्र संख्या-डीजी-10/2014 दिनांकित-15-02-2014 निर्गत किया गया है।

2. उक्त घटना के संदर्भ में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकारियों की गोष्ठी में चिन्ता व्यक्त की गयी है तथा इस बात पर भी खेद व्यक्त किया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संदर्भ में जनपदीय पुलिस द्वारा योजनाबद्व तरीके से कार्यवाही नहीं की गयी। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण भूमि विवाद जनित घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु एक विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जायें। अतएव इस परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा यह परिपत्र निर्गत किया जा रहा है।

3. उपरोक्त सभी घटनायें चिन्ता का विषय है तथा ऐसी घटनाओं की पुर्नावृत्ति से विभाग की छवि धूमिल होती है। हत्या जैसी गम्भीर घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-25/2013 दिनांक 30.05.2013 अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा इस परिपत्र में वे सभी प्राविधान अन्तर्निहित है जिनके अनुपालन से हत्या जैसी गम्भीर अपराध पर निशिचित रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है। इस क्रम में पार्श्वांकित पूर्व में जारी किये गये परिपत्र उल्लेखनीय है जिनकी ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

परिपत्र संख्या-डीजी-21/94 दिनांक 12.10.94
परिपत्र संख्या-डीजी-01/95 दिनांक 14.01.95
परिपत्र संख्या-डीजी-23/07 दिनांक 14.06.07
परिपत्र संख्या-डीजी-68/07 दिनांक 21.08.07
परिपत्र संख्या-डीजी-44/08 दिनांक 11.08.08

4. वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा उक्त परिपत्रों का न तो गहराई से परिशीलन किया गया है और न ही परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों का निष्ठा और तत्परता से पालन किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि सामूहिक हत्या, हत्या जैसे सनसनीखेज अपराधों की रोकथाम की दिशा में अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए सभी सम्भव उपाय किये जाय एवं पूर्व में निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही की जायः-

- ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर प्रत्येक थाने पर बीटवार पूर्व से प्रचलित होगें, इन्हें तत्काल अद्यावधिक कर लिया जाय तथा परिपत्र में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के विवादों के सन्दर्भ में नई पुरानी सभी प्रकार के रंजिशों को चिन्हित कर लिया जाय। यह काम प्रत्येक दशा में आगामी 10 दिवस में पूर्ण कर लिया जाय।
- ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में प्रविष्टियां अद्यावधिक करने की दिशा में सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बीट के उपनिरीक्षक एवं आरक्षीगण नियमित रूप से अपनी बीट में जाय एवं बीट के सभी संवेदनशील मोहल्लों एवं गांव से भली-भांति परिचित हो। जब तक बीट उपनिरीक्षक एवं आरक्षीगण संवेदशीलन गावों एवं मोहल्ले का नियमित भ्रमण एवं स्थानीय जनता से सम्पर्क नहीं करेगें तब तक विवाद अथवा रंजिशों के विषय में गहराई से ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक थाना प्रभारी अपने बीट उपनिरीक्षक/चौकी प्रभारियों तथा बीट आरक्षियों का साप्ताहिक भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करेगें जिसे अपने क्षेत्राधिकारी से अनुमोदित कराकर बीट उपनिरीक्षक एवं आरक्षीगण को चिन्हित संवेदनशील ग्राम/मोहल्लों में क्रमशः भेजेगे ।

- बीट उपनिरीक्षक का दायित्व होगा कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार चिन्हित ग्राम/मोहल्ले का भ्रमण तिथि एवं समय पर करें तथा ग्राम/मोहल्ले में जाने से पूर्व उस गांव से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र, पंजीकृत एन0सी0आर0, पूर्व से चले आ रहे विवाद, ऐसे प्रकरण जिनमें 116(3)द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी हो। विगत तीन माह में अंकित सूचनाएं, विगत 6 माह में ग्राम/मोहल्लों के आपराधिक तत्वों पर की गयी निरोधात्मक कार्यवाही, ऐसी सम्पत्ति जिसकी 145 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी हो तथा राजनैतिक विद्वेष/प्रतिद्वन्दता के ज्ञात प्रकरणों को संकलित करके ग्राम/मोहल्लों में जायेगें। उचित होगा कि वह ग्राम/मोहल्लों का रजिस्टर नम्बर-8 भी लेकर जायेगें।
- उपनिरीक्षक/बीट आरक्षीगण ग्राम/मोहल्ला भ्रमण सरसरी तौर पर नहीं होना चाहिए वरन ग्राम के सभी संभ्रान्त एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा ग्राम/मोहल्लों में नियुक्त लोक सेवकों यथा प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य/अध्यापक, शिक्षा मित्र, स्वास्थय विभाग के कर्मचारी, चौकीदार आदि से भी चर्चा कर ग्राम/मोहल्ले में पनप रहे विवादों के चिन्हिकरण हेतु प्रयास करना चाहिए।
- भ्रमण के दौरान पूर्व चिन्हित विवादों की तत्कालिक आंकलन, विश्लेषण एवं सभाधान तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही को त्वरित रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
- उचित होगा कि थाना प्रभारी द्वारा बनाये जाने वाले भ्रमण कार्यक्रम की एक प्रति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को भी प्रेषित की जाय एवं थाने स्तर पर उनसे अनुरोध कर लिया जाय कि राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारी भी तत्समय चिन्हित ग्राम/मोहल्ले में उपस्थित रहकर विवादित प्रकरण के निराकरण अथवा विवादों के चिन्हिकरण के कार्य में सहयोग प्रदान करें।
- गांव के भ्रमण के दौरान बीट उपनिरीक्षक यथा सम्भव हैण्ड हेल्ड सेट द्वारा अपनी लोकेशन थाने को नोट करायेगें तथा अपने मोबाइल फोन से क्षेत्राधिकारी से भी वार्ता करेगें।
- प्रत्येक थाने पर बीट उपनिरीक्षक के भ्रमण के सन्दर्भ में एक अभिलेख अलग से प्रचलित किया जाय जिसमें उपनिरीक्षक भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय तथ्यों को अति संक्षेप में इस अभिलेख में अंकित करेगें। इस अभिलेख को थाना प्रभारी प्रत्येक दिन, सम्बन्धित क्षेत्राधिकरी माह में 02 बार तथा अपर पुलिस अधीक्षक माह में एक बार अवश्य अवलोकित करेगें तथा अपनी टिप्पणी अंकित करेगें।
- क्षेत्राधिकारीगण आकस्मिक तौर पर अपने क्षेत्र के किसी भी ग्राम/मोहल्ले का भ्रमण यह देखने के लिए कर सकते है कि निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार बीट उपनिरीक्षक तथा आरक्षी चिन्हित ग्राम/मोहल्ले में पहुँचें है अथवा नहीं तथा अभिदिष्ट कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे है।
- किसी भी विवादित प्रकरण के सन्दर्भ में की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही यथा 107/116 द0प्र0सं0, 151 द0प्र0सं0, 145 द0प्र0सं0 तथा लाइसेन्सी शस्त्रों का निरस्तीकरण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को परिणिती तक पहुँचाने की प्रक्रिया का सूक्ष्म पर्यवेक्षण थाना प्रभारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। मात्र 107/116 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित कर देना अथवा शस्त्रों के लाइसेन्सों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित कर देना ही कर्तव्य की इतिश्री नहीं है वरन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 116(3)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबंदगी उचित परिमाण पर हो गयी है अथवा शस्त्र निरस्तीकरण आदेश निर्गत होकर शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही भी हो गयी है।
- ऐसे प्रकरण जिनका सीधा सम्बन्ध अन्य विभागों यथाः राजस्व, सिचाई, वन विभाग आदि से होना पाया जाता है, में भी तात्कालीक उपाय करके ऐसे प्रकरणों की सूची बीट वार अविलम्ब क्षेत्राधिकारी/उप जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित विभाग को भेजकर त्वरित निराकरण कराया जाय तथा प्रकरण को तब तक लम्बित एवं पर्यवेक्षणाधीन माना जाय, जब तक विवाद का हल नहीं हो जाता हैं ।

- अति गम्भीर मामलों में जनपदीय पुलिस अधीक्षक को तत्काल अवगत कराया जाय व जनपदीय पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक का भी यह दायत्वि होगा कि विवादों के चिन्हिकांन, निवारण तथा शमन सम्बन्धी कार्य जो कि थाने स्तर पर चलाये जा रहे है, से समय-समय पर भिज्ञ होते रहे एवं शीथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करे/करायें।

5. प्रश्नगत विषय पर इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-डीजी-68/07 दिनांकित 21.08.2007 का भी गहनता से अवलोकन कर लें यथा उक्त परिपत्र में सन्निहित प्राविधानों का भी गम्भीरता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

6. परिपत्र संख्या-25/2013 दिनांक 30.05.2013 के माध्यम से "हत्या की घटनाओं की विश्लेषण" शीर्षक से एक प्रारूप प्रेषित किया गया था तथा यह अपेक्षा की गयी थी की रंजिशन हुई हत्या की घटना के सन्दर्भ में प्रेषित एस0आर0 के साथ ही उक्त प्रारूप में जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या भी प्रेषित की जायेगी। अत्यन्त खेद का विषय है की अधिकांश जनपद प्रभारियों द्वारा इस आख्या का प्रेषण नहीं किया जा रहा है। इस परिपत्र के माध्यम से आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसी किसी भी हत्या की घटना जो कि जमीनी विवाद अथवा पूर्व से चली आ रही किसी रंजिश के कारण हुई हो के सन्दर्भ में निर्धारित प्रारूप में पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आख्या प्रत्येक दशा में एस0आर0 के साथ अवश्य भेजेगें। प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

7. परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक का यह दायित्व होगा कि विवाद जनित हत्या के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित की जाने वाली आख्या निर्धारित प्रारूप में तत्काल प्राप्त करें एवं स्वयं समीक्षा करते हुए यह भी सुनिश्चित करेगें कि घटना के सन्दर्भ में समस्त निर्देशों का अनुपालन पूर्व में हुआ है अथवा नहीं यदि नहीं हुआ है तो लापरवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारी का दोष निर्धारित करते हुए स्वयं अपेक्षित कार्यवाही करेगें तथा पुलिस महानिरीक्षक, जोन के माध्यम से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भी अवगत करायेगें।

8. परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकगण यह सुनिश्चित करेगें कि इस परिपत्र तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत परिपत्रों से सभी सम्बन्धित पूर्णरूप से भिज्ञ हो जायें तथा परिपत्रों में दिये गये समस्त निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

22/2/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।

विवाद जनित सामूहिक हत्या/हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के सन्दर्भ में अधि0/कर्मचारियों के दायित्व

क्रम संख्या	पद	क्षेत्राधिकार (सर्किल/थाना/बीट/ग्राम)	दायित्व
1.	बीट आरक्षीगण(यदि युगल बीट है तो दो आरक्षी)	चिन्हित ग्राम/मोहल्ला	1.बीट आरक्षी का यह कर्तव्य होगा कि स्वयं को आवंटित ग्राम/मोहल्ला की स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी रखें तथा नियमित अंतराल में संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर अपराधी तत्वों, विवादित प्रकरण, साम्प्रदायिक मुद्दों, राजनैतिक प्रतिद्वदिता के मामलों को चिन्हित कर बीट उप निरीक्षक को अवगत कराये तथा अपनी बीट बुक में अंकित करें। 2. बीट उ0नि0 के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी रखे तथा अपने नैत्यिक दायित्वों के निर्वहन यथा सम्मन तामिला, प्रार्थना पत्र की जांच आदि के साथ-साथ गांव में उ0नि0 के पहुंचने से 02 घण्टे पहले पहुँचकर विवादित प्रकरण के पक्षकारों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित कर विवाद निस्तारण के कार्य में बीट उ0नि0 को सहायता प्रदान करें। 3. अभिदिष्ट गांवों में सभी विवादित प्रकरणों की जानकारी रखें तथा विभिन्न श्रोतों के माध्यम से स्थिति के विषय में सुरागरसी करायें एवं बीट सूचना में सारगर्भित तथ्य अंकित करायें व बीट उ0नि0/प्रभारी थाना को संज्ञानित करते रहें।
2.	बीट उपनिरीक्षक/चौकी इन्चार्ज	चौकी क्षेत्र में सम्मिलित मोहल्ले/बीट में सम्मिलित ग्राम	1.चौकी प्रभारी/बीट प्रभारी का भी दायित्व है कि सर्वप्रथम वे अपने क्षेत्र में सम्मिलित मोहल्ले/गांव की स्थिति तथा आपराधिक संवेदनशीलता आदि से भली-भांति परिचित हो लें। 2.अपने क्षेत्र के संवेदनशील गांव को चिन्हित कर भ्रमण का एक रोस्टर तैयार कर थाना प्रभारी से अनुमोदित करायें यह रोस्टर इस प्रकार होना चाहिए कि एक भ्रमण में शहरी क्षेत्र में दो मोहल्ले व ग्रामीण क्षेत्र में दो गांव देखे जा सके। भ्रमण कार्यक्रम में प्रति सप्ताह एक भ्रमण अवश्य हो। 3.सभी संवेदनशील गांव के सन्दर्भ में एक विवरणिका बनाये जाने चाहिए जिसमें गांव से सम्बन्धित सभी प्रकार के विवादित प्रकरण 06 माह के अन्दर दर्ज एन.सी. आर., विवादों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रचलित विवाद जिनमें निरोधात्मक कार्यवाही की गयी हो 107/116/116(3) द0प्र0सं0 के सभी प्रकरण 145 द0प्र0सं0 के प्रकरण तथा हत्या, बलवा रोकथाम रजिस्टर में अंकित प्रकरण

			सम्मिलित होगें। 4.उपरोक्त रूप से बनाई गयी विवरणिका को लगातार Update करना भी उप निरीक्षक का दायित्व होगा। 5.थाना प्रभारी द्वारा भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित होने के उपरान्त भ्रमण से एक दिन पूर्व जिस गांव/मोहल्ले में जाना है उससे सम्बन्धित सभी जानकारियों यथा प्रार्थना पत्र, विवाद, एन.सी.आर. आदि संकलित कर लिये जायें एवं बीट आरक्षियों द्वारा सभी सम्बन्धित को गांव/मोहल्ले में सूचित करा दिया जाय। उद्देश्य यह है कि भ्रमण सार्थक एवं तथ्यपरक न कि सरसरी। 6.भ्रमण के दौरान सभी पक्षकारों से वार्ताकर यथा सम्भव सम्भांत व्यक्तियों की मध्यस्था से स्थाई समाधान निकाला जाय अन्यथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय यदि स्थिति गम्भीर हो तो तत्काल पिकेट नियुक्त करने की अनुशंसा की जाय। बीट उप निरीक्षक सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त करें। 7.भ्रमण से लौटने पर महत्वपूर्ण बिन्दु ग्राम/मोहल्ला रजिस्टर में तत्काल अंकित करें एवं थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से संज्ञानित करें।
3	थाना प्रभारी	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	1.थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि थाना क्षेत्र के विभिन्न हल्कों, चौकियों अथवा बीट में सम्मिलित गांव/मोहल्लों की सूची से अपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील गांव/मोहल्ला चिन्हित करें तथा इस कार्य में बीट उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी से फीडबैक लें। प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर विभिन्न कारणों से विवादित प्रकरणों को उनके गांव/मोहल्ला/बीट के आधार पर सूचीबद्ध करें तथा इनका इन्द्राज ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में करायें। 2.थाने पर नियुक्त सभी बीट उप निरीक्षकों से वार्ता कर उनका भ्रमण कार्यक्रम बनायें यह कार्यक्रम इस तरह निर्धारित कराया जाय कि प्रत्येक उप निरीक्षक प्रति सप्ताह कम से कम दो ग्राम/मोहल्लों का सउद्देश्य भ्रमण करें। 3.प्रतिदिन थाना प्रभारी अपने बीट प्रभारियों से भ्रमण में प्रकाश में आये प्रमुख बिन्दुओं के विषय में संज्ञानित हो तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही हुई है अथवा नहीं भी देखें । 4.प्रकाश में आये नवीन प्रकरणों का अंकन विवाद रजिस्टर में करायें एवं पूर्व प्रकरणों के सम्बन्ध में भी स्थिति से अवगत होते रहें। 5.चिन्हित प्रकरणों से अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण के सन्दर्भ में थाना प्रभारी स्वयं भी ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण करें एवं यथोचित कार्यवाही करायें।

			6.सभी प्रकरणों में प्रचलित निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा माह में 02 बार अवश्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित निरोधात्मक कार्यवाही अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाय। 7.अति महत्वपूर्ण प्रकरण जहाँ गम्भीर अपराध होने की आशंका है से अपने क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को अवश्य अवगत करायें।
4	क्षेत्राधिकारी	सर्किल में पड़ने वाले सभी थाने	1.क्षेत्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह गम्भीर अपराधों के सन्दर्भ में सभी थानों पर प्रचलित ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर, हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, जिल्द एन.सी.आर., 107/116 द0प्र0सं0 रजिस्टर आदि का जब भी वे थाने पर जायें गहनता से अवलोकन करें। यदि प्रविष्टयाँ अद्यावधिक न हो अथवा उसके अंकन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गयी हो तो कड़ा रूख अपनाते हुए सम्बन्धित को सावधान करें एवं प्रविष्टयाँ अद्यावधिक करायें। 2.अपने सर्किल से सम्बन्धित थानों के बीट उप निरीक्षकगण की प्रत्येक पक्ष में एक बार मीटिंग करें तथा महत्वपूर्ण विवादित प्रकरणों से स्वयं भी संज्ञानित हो। 3.सर्किल के थानों में यह सुनिश्चित करायें कि सभी बीट उप निरीक्षक/चौकी प्रभारी का ग्राम/मोहल्ला साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम नियमित रूप से थानाध्यक्ष द्वारा बनाया जा रहा है अथवा नहीं। शीथिलता बरतने वाले थानाध्यक्षों को सावधान करें। 4.थाने से प्राप्त भ्रमण कार्यक्रमों की आकस्मिक चेकिंग स्वयं सम्बन्धित ग्राम/मोहल्ले में जाकर करें तथा देखें कि उप निरीक्षक द्वारा अपेक्षित स्तर पर कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं । 5.क्षेत्राधिकारी स्वतन्त्र रूप से अपना भी भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाये कि माह में किसी भी एक दिन निम्नतम दो ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण स्वयं करें। 6.थानों पर गोष्ठी कर विवाद निराकरण के सम्बन्ध में मुख्यालय से निर्गत सभी परिपत्रों को उप निरीक्षक/आरक्षीगण को पढ़कर सुनायें व उसके महत्व को समझायें। 7.ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त करना हो को चिन्हित कराकर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि से वार्ता कर सफल निस्तारण त्वरित रूप से कराने का प्रयास करें।

5	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक	जनपद के समस्त थाने/नगर/देहात के थाने	1.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि विभिन्न प्रकार के विवाद जनित रंजिशों को बीटवार/ग्रामवार चिन्हित करायें जाने हेतु मुख्यालय से निर्गत परिपत्रों में अन्तर्निहित निर्देशों से स्वयं भली-भांति भिज्ञ होते हुए सभी अधीनस्थों को भिज्ञ करायें । 2.अपने स्तर से विवादित प्रकरणों के चिन्हिांकन, निस्तारण के सन्दर्भ में व्यवहारिक कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्यवाही करायें। 3.अपराध गोष्ठी, सम्मेलन, ओ.आर., आकस्मिक निरीक्षण आदि करते समय सम्बन्धित ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर, हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, जिल्द एन. सी.आर., 107/116 द0प्र0सं0 रजिस्टर आदि की समीक्षा गहराई से करें तथा सभी अधि0/कर्मचारियों को इस परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील बनने हेतु प्रेरित करें। यदि किसी प्रकार की शीथिलता व लापरवाही पायी जाये तो उसे गम्भीरता से लेते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करें। 4.पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद का कारण राजस्व अथवा अन्य विभाग से सम्बन्धित है में अपने स्तर से पहल करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित विभाग से समाधान सुनिश्चित करायें। 5.यदि विवाद जनित रंजिश के कारण कोई हत्या की घटना हो जाती है तो पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-25/2013 दिनांकित 30.05.2013 में उल्लिखित प्रारूप में घटना के विश्लेषण सम्बन्धी विवरण 24 घण्टे के अन्दर परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रेषित करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पायें तो सम्यक दण्डात्मक कार्यवाही करें।
6	पुलिस उप महानिरीक्षक	परिक्षेत्र क्षेत्र में सभी जनपद	1.परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक का यह दायित्व होगा कि विवाद जनित गम्भीर अपराधों में परिपत्र संख्या-25/2013 दिनांकित 30.05.2013 में वर्णित प्रारूप में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक की आख्या घटना के 24 घण्टे के अन्दर प्राप्त करें। विवरण की समीक्षा करें तथा यह देखे कि यदि कोई लापरवाही हुई है तो किस स्तर पर हुई है। यदि कोई गम्भीर अनियमिता/लापरवाही पायी जाती है तो दण्डात्मक कार्यवाही कराते हुए पुलिस महानिरीक्षक जोन के माध्यम से इस मुख्यालय को भी सूचना प्रेषित करें। 2.जनपद भ्रमण के समय इस सन्दर्भ में अधिकारियों की गोष्ठी कर सभी को Sensitize करें।